

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर
डब्लू-6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

Tender Form
No.

खुली निविदा सूचना संख्या 01 / 2016-17

मुद्रित ओ.एम.आर. शीट्स की आपूर्ति एवं स्केनिंग कार्य
हेतु निविदा प्रस्ताव
क्रमांक :— एफ-3 () प्राशिम/भण्डार/2523 दिनांक : 11.04.2016



निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक व समय	10 मई 2016, 6.00 पी.एम. तक
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	11 मई 2016, 11.00 ए.एम. तक
तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय	11 मई 2016, 12.30 पी.एम
वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	11 मई 2016, 04.00 पी.एम

मूल्य : 400/- रुपये

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्लू-6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

वेब साईट <http://techedu.rajasthan.gov.in>ई-मेल bter.jodhpur@gmail.comमुद्रित ओ.एम.आर. शीट्स की आपूर्ति एवं स्केनिंग कार्य
हेतु निविदा प्रस्ताव

क्रमांक :— एफ-3 () प्राशिम/भण्डार/2523 दिनांक : 11.04.2016

विवरण	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
निविदा शुल्क			रु. 400/-
धरोहर राशि			रु. 48,000/-

नाम :

पेन न.

फर्म का नाम :

(फोटो प्रति संलग्न)

पता :

वैट/टीन न.

(फोटो प्रति संलग्न)

फोन न :

वाणिज्यिक कर विभाग का कर चुकता

मो. न :

प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न)

ई-मेल:

सेवाकर पंजीकरण

- ❖ हम संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर द्वारा जारी निविदा क्रमांक:— एफ-3 () प्राशिम/भण्डार/2523 दिनांक : 11.04.2016 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- ❖ निविदा में उल्लेखित सामग्री जिनकी वित्तीय दर प्रस्तावित की गई हैं, ऐसी सामग्री के मुद्रण, प्री स्केन जांच व परिणाम हेतु उपयोग में ली गई ओएमआर शीट्स की स्केनिंग हेतु मेरे स्वयं के पास आवश्यक समस्त मूलभूत संसाधन व मशीनरी इत्यादि उपलब्ध है जिसका विवरण तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया गया है।
- ❖ निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस तक रहेगी। इसका पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
- ❖ कार्यालय द्वारा सामग्री की आवश्यकता होने पर सामयिक मांग अनुसार आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि में मण्डल कार्यालय तक सुरक्षित पैकिंग में आपूर्ति करने के क्रम में अनुबन्ध निष्पादन करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि के लिए दर संविदा करने हेतु वित्तीय दर प्रस्तावित की गई है।
- ❖ ओ.एम.आर. शीट्स की ग्रामेज, ब्राइटनेस मैपलिथो पेपर के संबंध में पूर्ण संतुष्टि नहीं होने की स्थिति में किसी भी मानक प्रयोगशाला से जांच करवायी जा सकेगी एवं आपूर्ति की गई ओ.एम.आर. शीट्स निविदा स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्राप्त नहीं होने व मण्डल कार्यालय हेतु अनुपयोगी होने पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल जोधपुर कार्यालय द्वारा जब्त करते हुए भुगतान नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में निविदादाता द्वारा कोई भी क्लेम प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
- ❖ निविदा शर्तों एवं कार्य की गोपनीय प्रवृत्ति का अच्छी तरह अध्ययन कर ध्यान पूर्वक वित्तीय दरें प्रस्तावित की हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा वास्तव में मुद्रण कार्य का व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/ उपकरण उपलब्ध है। किसी भी राज्य सरकार/ बोर्ड/ विश्वविद्यालय या अन्य के द्वारा हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया है तथा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील अंकित कर दिये गये हैं।
- ❖ निविदादाता / फर्म आई.एस.ओ. प्रमाणित होनी चाहिए। (फोटो कॉपी संलग्न करें)
- ❖ ओ.एम.आर शीट्स की प्रिन्टिंग व स्केनिंग कार्य हेतु निविदादाता पिछले तीन वर्षों का कार्य अनुभव / प्रमाण पत्र संलग्न करें। ओ.एम.आर प्रिन्टिंग व स्केनिंग कार्यों के लिए निविदादाता के पास पिछले तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर 1 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्लू-6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

मुद्रित ओ.एम.आर. शीट्स की आपूर्ति एवं स्केनिंग कार्य हेतु निविदा प्रस्ताव

क्रमांक :— एफ-3 () प्राशिम/भण्डार/2523 दिनांक : 11.04.2016

- ❖ निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति की दर में समस्त अन्य लेवियां उत्पाद शुल्क, कस्टम विक्रय कर, राजस्थान विक्रय कर, चुंगीकर, केन्द्रीय विक्रय कर, राजस्थान प्रवेश कर, सेवाकर, कार्टज, पैकिंग इत्यादि समस्त कर व व्ययों को सम्मिलित करते हुए मण्डल कार्यालय तक निर्धारित पैकिंग में आपूर्ति करने तक के व्यय सम्मिलित हैं।

S. No	Material and Work Detail	Total Estimate Required Quantity	Unit	Net Price Including All Taxes (CST/VAT/Entry Tax & etc. all Expenditure) & F.O. R. BTER OFFICE JODHPUR
1.	OMR Sheet (One side printing) 1- 105 GSM, High brightness SS Maplitho paper of A 4 Size 2. OMR Sheet should be pre scanned on OMR scanning machine. 3. OMR Sheet Should be completely scanable on OMR scanning machine. 4. Design Colour & Printing of OMR's will be approved by BTER. 5. Packing- 1000 OMR sheet in one polybag 5 ply Laminated corrugated box,	14,00,000	Per Sheet	OMR Sheet Scanning Total
2.	Terms for scanning of OMR 1- The firm will have to quote separately rates of for printing of OMR and scanning, but tender will be decided by the combined lowest rates of both per OMR. 2- Scanning of used OMR is to be carried out in the premises of BTER Jodhpur. 3. The firm will have to provide all databases created from scanning of OMR in the format as required by BTER Jodhpur. 4. The firm will have to provide result of scanning in the prescribed format provided by BTER Jodhpur in Softcopy. 5. Firm be have to start scanning work within one week after the start of examination and it should be completed within one month of completion of examination. 6. Sufficient Nos of OMR scanners to be deployed by the firm so that whole work can be completed in prescribed time.			

Seal & Signature

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्लू-6, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

क्रमांक :- एफ-3 () प्राशिम/भण्डार/2523

दिनांक : 11.04.2016

- 1 निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
- 2 (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में रूप से उन्मुक्ति (डिस्वार्ज) होगी।
- 3 बिक्री कर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण पत्र :- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है, उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर/वेट चूकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
- 4 निविदा प्रारूप स्थाही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- 5 दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटि एवं /या उपरीलेखन नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धिया राजस्थान बिकी कर एवं केन्द्रिय बिकी करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये। दरों में
- 6 मूल्य अधिमान :- मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के अनुसार दिया जाएगा।
- 7 विधिमान्यता :- निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से एक माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- 8 अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 9 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारावान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या सबलेट पर
- 10 विनिर्देश :- (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ड्रेडमार्क के शर्तों के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। जहाँ कोई मानकीकृत अनुमोदित नमूने न हों, वहाँ अत्युतम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
(ii) वारंटी/गारंटी खण्ड:- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमानित कर दिया है, यदि 3 माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्तें के उल्लंघन के कारण अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 11 प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- 12 रद्द करना :—(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतया नष्ट किया जायेगा।
(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाएं, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गई कटौति अन्तिम होगी।
- 13 निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुन्द्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल तक माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी उच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट-फूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
- 14 प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 15 निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
- 16 सुपुर्दगी अवधि :— निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाएं एवं सामग्री की आपूर्ति क्रय आदेश में अवधि 30 दिवस के अन्दर अन्दर की जावेगी। आपूर्ति आदेश की पालना में आपूर्ति आदेश में अकित अवधि 30 दिवस, जो भी कम हो के भीतर निर्दिष्ट स्थान तक सुरक्षित व गोपनीय रूप से सामग्री की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जावेगी।
(ii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
(iii) अनुबन्ध की अवधि आपूर्ति आदेश अवधि अनुसार होगी।
- 17 बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):— (क) निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :—
(i) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।
(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :— असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यशाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।
(ग) बयाना राशि से आंशिक छूट :— उन फर्मों को जो निदेशक, उधोग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण—पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, (विलोपित) निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बायान राशि जमा करानी होगी।
(घ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गई निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।
- 18 बयाना राशि का समपहरण :— बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जायेगा :—
(1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उपान्तरण करता है।
(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
(4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।
- 19 (i) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :— सफल निविदादाता को अनुमोदन आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।
(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- (iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे।
- 20 (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।
 (1) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बांधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 (2) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
- 21 वसूलियाँ :- परिसमाप्ति नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मलों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है, तो परिसमाप्ति नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निषेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- 22 निविदादाता द्वारा अपनी प्रस्तावित दरें विभागीय मूल निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। विभागीय प्रपत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
- 23 निविदा मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी जिस पर परीक्षा उत्तरपुस्तिका निर्माण एवं आपूर्ति कार्य हेतु निविदा अंकित होना चाहिए।
- 24 फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान, प्राप्त सामग्री की प्राप्ति के प्रमाणन सहित, विभाग तीन माह कुल आदेशित मूल्य का 80 प्रतिशत एवं शेष 20 प्रतिशत भुगतान, आदेशित सामग्री के 50 प्रतिशत उपभोग किये जाने की संतुष्टि के पश्चात् करने का प्रयास करेगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 25 सफल निविदादाता को निविदा राशि के 5 प्रतिशत राशि के समतुल्य सुरक्षित राशि राजकोष में जमा करानी होगी तथा नियमों के अनुसार करार पत्र रु0 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
- 26 निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान कार्यवाही की जायेगी।
- 27 निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
- 28 निविदा फार्म में किसी प्रकार की कांट-चांट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन किया जावे तो पुनः स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाकर इस पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे। कांट-चांट या ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द समझी जायेगी।
- 29 किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर को होगा।
- 30 सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर या आपूर्ति/कार्य सन्तोषजनक नहीं करने पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान, जोधपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्ज-खर्च पर ऐनलटी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।
- 31 आपूर्ति जब भी प्राप्त की जायेगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं, उन्हें स्वीकार किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व देखे गये नमूने अनुसार सामग्री आपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा। अतः यह सुनिश्चित करें कि आप द्वारा निवेदित सामग्री का ब्राण्ड नमूनों के अनुरूप या उच्चतम श्रेणी का हो।
- 32 निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जावेगी वह सप्लाई आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करेगा।
- 33 यदि केता अधिकारी किसी निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने लिये अधिकृत नहीं होगा।
- 34 असफल निविदादाताओं की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटा दी जायेगी।
- 35 सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये निविदाएँ स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के पॉच प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करनी होगी। निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी। प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रतिभूति नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जायेगा।
- 36 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपकरण प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

- 37 प्रतिभूति निषेप का सम्पहरण— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहत किया जायेगा :—
 (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो ।
 (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 (ग) प्रतिभूति निषेप को सम्पहत करने के मामले में युक्ति-युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- 38 परिनिर्धारित क्षति— परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है—
 (1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
 (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%
 (घ) विहित अवधि की तीन-चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%
 (2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा ।
 (3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।
- 39 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, इन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
- 40 निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अंकित की जावे। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- 41 यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- 42 समस्त विधिक कार्यवाही, यदि सरिथ्त किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जोधपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
- 43 निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जायेगी उन्हे रद्द किया जायेगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
- 44 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम (भाग द्वितीय) नियम 68 एस आर प्रारूप 16 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना पूर्व रूपेण की जावेगी।
- 45 कार्यालय की अनुमानित आवश्यकता व आपूर्ति अवधि परिस्थिति/आकर्षिकता के कारण परिवर्तनशील रहेगी। आवश्यकता होने पर निविदादाता को तत्काल सामग्री व सौंपा गया कार्य पूर्ण कर देना होगा।
- 46 उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्त निविदा सूचना एवं सामान्य वितीय एवं लेखा नियम के प्रावधानानुसार लागू होगी।
- 47 अनुबन्ध की समयावधि अनुबन्ध किये जाने की तिथी से एक वर्ष निर्धारित है परन्तु आपसी सहमति से इस अवधि को आगामी 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर